भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3205

28/03/2025 को उत्तरार्थ

विषय: बढ़ती आदान लागतें और किसानों को सहायता

3205 श्री विवेक के:तन्खा .

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीज, उर्वरक, ईंधन और विद्युत जैसे आदानों की बढ़ती लागतों के कारण किसानों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार की आदान लागतों को स्थिर रखने के लिए राजसहायता या अन्य सहायता तंत्र शुरु करने की योजना है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि लघु और सीमांत किसान इन बढ़ती लागतों से अनुचित रूप से प्रभावित न हों?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

(श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिदेशित कृषि फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी भूमि, जल और उत्पादन के अन्य संसाधनों का युक्तियुक्त उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है।

2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम न्यूनतम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के एमएसपी में वृद्धि की थी। उत्पादन लागत में बीज, उर्वरक, ईंधन और विद्युत आदि जैसे आदानों की बढ़ती लागत पर विचार किया जाता है।

(ख): सरकार ने गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और उर्वरक, सिंचाई, मशीनरी आदि जैसे आदानों के कुशल उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि को बढ़ावा देकर कृषि जिंसों की उत्पादन लागत को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कृषि फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन और वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2014-15 से बीज और रोपण सामग्री (एसएमएसपी) पर उप-मिशन का

कार्यान्वयन किया जा रहा है, ताकि देश में किसानों को अपेक्षित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जा सकें। वर्तमान वर्ष 2023-24 के दौरान एसएमएसपी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के साथ विलय कर दिया गया है। इस योजना के तहत, विभिन्न बीज संबंधी गतिविधियों जैसे बीजों का वितरण (अनाज फसलों के लिए 50% सब्सिडी पर आधार/प्रमाणित बीज और दलहन, तिलहन, चारा और हरी खाद फसलों के लिए 60% सब्सिडी) के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध/प्रदान की जाती है। एसएमएसपी की योजनाओं/घटकों के माध्यम से बीज इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं (बीज प्रसंस्करण और भंडारण के लिए भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी), राष्ट्रीय बीज भंडार (प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान किसानों को लघु और मध्यम अवधि की फसल किस्मों के बीजों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु) और राज्यों को बीज गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करना आदि शामिल हैं।

सरकार मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता बनाए रखने के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर रासायनिक उर्वरकों, जैव-उर्वरकों और स्थानीय रूप से उपलब्ध जैविक खाद जैसे फार्मयार्ड खाद, कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट और हरी खाद के संतुलित और युक्तियुक्त उपयोग के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को भी प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने दिनांक 01.03.2018 को यूरिया का वैधानिक एमआरपी ₹ 242/45 किलोग्राम बैग निर्धारित किया है और नीम कोटिंग के लिए 5% अतिरिक्त शुल्क है तथा 5% जीएसटी शुल्क है। फार्म गेट स्तर पर नीम लेपित यूरिया का एमआरपी 266 रुपये/45 किलोग्राम बैग है।

(ग): सरकार संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों का समर्थन कर रही है, जिसका उद्देश्य किसानों द्वारा अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है। इस योजना के तहत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण प्राप्त होता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, ऋण-दात्री वित्तीय संस्था को 1.5% की अग्रिम ब्याज सहायता (आईएस) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, जो किसान समय पर अपने ऋणों की वापसी अदायगी करते हैं उन्हें 3% त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) प्राप्त होता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% प्रति वर्ष हो जाती है। आईएस और पीआरआई का लाभ ₹ 3 लाख तक की ऋण सीमा के लिए उपलब्ध है। तथापि, यदि अल्पकालिक ऋण कृषि से संबद्धित गतिविधियों (फसल पालन के अतिरिक्त) के लिए लिया जाता है, तो लघु और सीमांत किसानों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के मद्देनजर ऋण राशि केवल ₹ 2 लाख तक सीमित है। तथापि, बजट 2025 में इस सीमा को ₹5 लाख बढ़ाने की घोषणा की गई है।

सरकार 1 दिसंबर, 2018 से केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) का भी कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना का उद्देश्य संपूर्ण देश के सभी भू-धारक किसान परिवारों को कतिपय बहिष्करण मानदंडों के अधीन, वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं से संबंधित व्ययों का वहन कर सकें। इस योजना के तहत, ₹2000/- की तीन 4-मासिक किश्तों में ₹6000/- प्रति वर्ष की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। दिनांक 05.03.2025 तक, इस योजना के तहत, लाभार्थी किसान परिवारों को ₹ 3.68 लाख करोड़ से अधिक की योजना का लाभ प्रदान किया गया था।
